न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 106/2018 **दायरा दिनांक :28.069.2018**

उनवान

1— छीतरलाल पुत्र नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— भूरी बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी चन्दा, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम पीपल्दा, जिला कोटा

3— रहमत बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी रमजानी, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम आडपुरा बारां

4— नट्टी बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी जुम्मा, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

5— छोटीबाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी बाबू, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम रानीबडौद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— अनारबाई पत्नी अली मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— मुन्ना पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— कजरू पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— निजाम पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— हमीदा पुत्री रसूल मोहम्मद पत्नी मकसूद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— रसीदा पुत्री रसूल मोहम्मद, पत्नी सलीम, जाति मुसलमान, निवासी मोर्या, तहसील दीगोद, जिला कोटा

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 107/2018 **दायरा दिनांक : 28.06.2018**

उनवान

1— छीतरलाल पुत्र नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— भूरी बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी चन्दा, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम पीपल्दा, जिला कोटा

3— रहमत बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी रमजानी, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम आडपुरा बारां

4— नट्टी बाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी जुम्मा, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

5— छोटीबाई पुत्री नूर मोहम्मद, पत्नी बाबू, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम रानीबडौद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— अनारबाई पत्नी अली मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— मुन्ना पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— कजरू पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— निजाम पुत्र रसूल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— हमीदा पुत्री रसूल मोहम्मद पत्नी मकसूद, जाति मुसलमान, निवासी सीमल्या हाल मुकाम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— रसीदा पुत्री रसूल मोहम्मद, पत्नी सलीम, जाति मुसलमान, निवासी मोर्या, तहसील दीगोद, जिला कोटा

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.07.2019**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 18/2013 व 47/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 व 17.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 106/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया कि वाके माल कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां में कृषि भूमि खाता संख्या 211 की खसरा नम्बर 115 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.30 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 1.80 हेक्टर स्थित है, जो वर्तमान में पीरजी के नाम खाते दर्ज है जो विवादित है । उपरोक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2014–23 में खातेदार उपभोक्ता पीरजी के साथ वादीगण/प्रतिवादीगण के पिता नूर मोहम्मद व रसूल मोहम्मद पिता घासीशाह, जाति फकीर, निवासी सीमल्या हिस्सा बराबर दर्ज है तथा कृषक के स्थान पर भी नूर मोहम्मद, रसूल मोहम्मद पुत्रगण एवं मुस0 हलीमा बेवा घासीशाह का नाम दर्ज है । जिसका खसरा नम्बर 59 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा है तथा सम्वत 2013–34 में भी उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता नूर मोहम्मद व रसूल मोहम्मद पुत्रगण व हलीमा बेवा घासीशाह का नाम दर्ज है । वादग्रस्त आराजी 65–70 वर्षों से वादीगण के पूर्वज के खातेदार एवं कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं व निरन्तर कब्जे काश्त में है । वर्तमान में भी कब्जा काश्त है । इस कारण उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे । वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान सरकार के आदेश की गलत व्याख्या करके वादग्रस्त आराजी पर नामान्तरकरण संख्या 204 से वादीगण के पिता के स्थान पर पीरजी खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है । जबकि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज0 6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के द्वारा वादग्रस्त आराजी तथा इसी प्रकार की अन्य आराजियात जिन पर पूर्व से अन्य व्यक्तियों का कब्जा व खातेदारी में नाम दर्ज चला आ रहा है उनके स्थान पर माफी मन्दिर पीरजी माफी के नाम दर्ज कर दिये गये हैं उन्हें निरस्त कर पूर्व के कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज करने बाबत व्यवस्था की गई है जिसके

सन्दर्भ में राजस्व मण्डल अजमेर राज0 द्वारा पत्र क्रमांक 636–689 दिनांक 06.01.2010 भेजकर समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त वर्णित परिपत्र की पालना करते हुए प्रकरणों का निरस्तारण कर उनके अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करें । वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तामील व जवाब प्राप्ति के बाद वाद वास्ते जवाब राज0 सरकार में जैरकार था जिस पर दिनांक 16.05.2018 को जवाब सरकार प्राप्त कर बिना कोई साक्ष्य लिए वादीगण/अपीलांट के वाद का निस्तारण कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून, पत्रावली पर मौजूद कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निस्तारण करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है मात्र जवाब सरकार प्राप्त करके बिना तनकीयात कायम किये बिना वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध किये राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 की कोटा पूर्ति करने के लिए विधि विरूद्ध तरीके से निस्तारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का उचित विवेचन किये बिना तथा वाद पत्र की मद संख्या 6 में राज0 सरकार के परिपत्र का अवलोकन किये बिना तथा उस बिन्दू को निर्णी किये बिना वाद का निस्तारण किया है जो कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है । वादीगण अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में इस तथ्य से न्यायालय को अवगत करा दिया गया था कि बतौर खातेदार नाम दर्ज न कर पूर्व की भांति कृषक के रूप में पीरजी के साथ नाम जोड़ दिया जावे जिस पर भी विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील संख्या 107/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया कि वाके माल कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां में कृषि भूमि खाता संख्या 199 की खसरा नम्बर 324 रकबा 1.72 हेक्टर स्थित है, जो वर्तमान में पीरजी के नाम खाते दर्ज है जो विवादित है । उपरोक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2014–23 में खातेदार पीरजी के साथ गांव प्रबन्धक नूर मोहम्मद व रसूल मोहम्मद पिता घासीशाह, जाति फकीर, निवासी सीमल्या हिस्सा बराबर दर्ज है तथा कृषक के स्थान पर भी नूर मोहम्मद, रसूल मोहम्मद पुत्रगण एवं मुस0 हलीमा बेवा घासीशाह का नाम दर्ज है । जिसका खसरा नम्बर 147 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा है । वादग्रस्त आराजी 65–70 वर्षों से वादीगण के पूर्वज के खातेदार एवं कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं व निरन्तर कब्जे काश्त में है । वर्तमान में भी कब्जा काश्त है । इस कारण उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे । वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान सरकार के आदेश की गलत व्याख्या करके वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता के स्थान पर पीरजी खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है । जबकि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज0 6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के द्वारा वादग्रस्त आराजी तथा इसी प्रकार की अन्य आराजियात जिन पर पूर्व से अन्य व्यक्तियों का कब्जा व खातेदारी में नाम दर्ज चला आ रहा है उनके स्थान पर माफी मन्दिर पीरजी माफी के नाम दर्ज कर दिये गये हैं उन्हें निरस्त कर पूर्व के कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज करने बाबत व्यवस्था की गई है जिसके सन्दर्भ में राजस्व मण्डल अजमेर राज0 द्वारा पत्र क्रमांक 636–689 दिनांक 06.01.2010 भेजकर समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त वर्णित परिपत्र की पालना करते हुए प्रकरणों का निरस्तारण कर उनके अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करें । वादीगण का वाद

दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तामील व जवाब प्राप्ति के बाद वाद वास्ते जवाब राज0 सरकार में जैरकार था जिस पर दिनांक 16.05.2018 को जवाब सरकार प्राप्त कर बिना कोई साक्ष्य लिए वादीगण/अपीलांट के वाद का निस्तारण कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून, पत्रावली पर मौजूद कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निस्तारण करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है मात्र जवाब सरकार प्राप्त करके बिना तनकीयात कायम किये बिना वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध किये राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 की कोटा पूर्ति करने के लिए विधि विरूद्ध तरीके से निस्तारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का उचित विवेचन किये बिना तथा वाद पत्र की मद संख्या 6 में राज0 सरकार के परिपत्र का अवलोकन किये बिना तथा उस बिन्दू को निर्णी किये बिना वाद का निस्तारण किया है जो कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है । वादीगण अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में इस तथ्य से न्यायालय को अवगत करा दिया गया था कि बतौर खातेदार नाम दर्ज न कर पूर्व की भांति कृषक के रूप में पीरजी के साथ नाम जोड़ दिया जावे जिस पर भी विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट कभी भी प्रसंगित आराजी के खातेदार पट्टेदार या खादिमदार नहीं रहा है । अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गयी है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 व 17.05.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा